

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 4430
(ANSWERED ON 20.08.2025)

AMENDMENT IN CENTRAL CIVIL SERVICES (LEAVE) RULES, 1972

†4430. **SHRI KANWAR SINGH TANWAR:**

Will the **PRIME MINISTER** be pleased to state:

- (a) whether the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 have been amended to align with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016;
- (b) if so, the details thereof;
- (c) whether the Government has increased the child education allowance for the children with disabilities;
- (d) if so, the details thereof; and
- (e) the details of various other benefits being provided to Government employees with benchmark disabilities ?

ANSWER

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE
(DR. JITENDRA SINGH)**

(a) to (e): Rule 7, 12, 14, 19 & 20 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 have been amended to align with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 *vide* Notification dated 03.04.2018. Further an OM dated 17.07.2018 was issued clarifying the applicability of Rule 20 of the CCS (Leave) Rules, 1972 to the notification.

The reimbursement of Children Education Allowance (CEA) for Divyaang Children has been set at ₹4500/- per month which is double the prescribed normal rates of CEA *vide* issue of Office Memorandum dated 17 July 2018. The rates are further revised from ₹4500/- to ₹5625/- per month.

So far Other benefits related to Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 is concerned, the Government employees with benchmark disabilities are provided with four days of Special Casual Leave; Special Allowance of Rs. 3,000 per month is provided to the Women Government Servant with disabilities for Child Care from the time of birth of child till the child is two years old.

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4430
(दिनांक 20.08.2025 को उत्तर के लिए)

केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 में संशोधन

4430. श्री कंवर सिंह तंवर:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप संशोधित किया गया है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते में वृद्धि की है;
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किए जा रहे विभिन्न अन्य लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ङ) : केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 7,12,14,19 और 20 को दिनांक 03.04.2018 की अधिसूचना के माध्यम से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 17.07.2018 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें इस अधिसूचना के संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 20 की प्रयोज्यता को स्पष्ट किया गया है।

दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते (सीईए) की प्रतिपूर्ति, 4500 रु. प्रति माह निर्धारित की गई है जोकि दिनांक 17 जुलाई, 2018 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से जारी सीईए की निर्धारित सामान्य दरों की दोगुनी है। इन दरों को 4500 रु. प्रति माह से और संशोधित करके 5625 रु. प्रति माह कर दिया गया है।

जहाँ तक केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 से संबंधित अन्य लाभों का संबंध है, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले सरकारी कर्मचारियों को चार दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता है; दिव्यांग महिला सरकारी कर्मचारी को शिशु के जन्म से लेकर शिशु के दो वर्ष की आयु के होने तक शिशु की देखभाल के लिए 3000 रु. प्रति माह का विशेष भत्ता प्रदान किया जाता है।
